


233



I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा 12017/1796

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी

मौनलाल तनय परीक्षित रजक, निवासी ग्राम  
दरगवा जिला टीकमगढ़, --निगरानीकर्ता  
बनाम

श्री अमर पी. मदनगट को  
द्वारा आज दि 16-6-17  
प्रस्तुत

16-6-17

1- श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी कल्लू रजक निवासी  
ग्राम दरगवा जिला टीकमगढ़  
-- असल रस्योडेन्ट

2- होरालाल

3- मीतीलाल

4- जानकी पुत्रगण पारीक्षित रजक

समस्त निवासीगण ग्राम दरगवा जिला

टीकमगढ़

--तरबीवी पक्षकार

-- रस्योडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र भू राजस्व संहिता 1959  
विरुद्ध आदेश दिनांक 01.06.2017 पारित न्यायालय  
अतिरिक्त तहसीलदार बडा गाव & धासन & टीकमगढ़  
म.प्र के प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/2016-17 से व्यधित  
होकर।

==

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न

प्रकार प्रस्तुत है:-

संदिग्ध तथ्य :-

3

1- यह कि अनाधिकार द्वारा धारा 250 म.प्र राजस्व


checked by  
MS Bheemraj  
AOC

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1796

मौनलाल विरुद्ध श्रीमती सुमित्रा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री एम.पी. भटनागर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागांव (घसान) जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>20/02/2019</p>